



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 834]
No. 834]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1998/पौष 3, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1998/PAUSA 3, 1920

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1105 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ इकतालीसवां संशोधन) नियम, 1998 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—
(क) 'कृषि मंत्रालय' शीर्षक के अधीन, 'क. कृषि और सहकारिता विभाग' उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
'22क. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना।
22ख. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1)।'
(ख) 'ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय' शीर्षक के अधीन, 'क. ग्रामीण विकास विभाग' उप-शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि 12 का लोप किया जाएगा।

के. आर. नारायणन
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/98-मंत्रि.]

वी. के. गाबा, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th December, 1998

S. O. 1105 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty first Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)”, after entry 22, the following entries shall be inserted, namely :—

“22A. Setting up of agricultural markets in rural areas.

22B. The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937).”;

(b) under the heading “MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (GRAMIN SHETRA AUR ROZGAR MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)”, entry 12 shall be omitted.

K. R. NARAYANAN

PRESIDENT

[File No. 1/22/1/98-Cab.]

V. K. GAUBA, Under Secy.